

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या— 1360/2015/जालोर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट द्वितीय, करापवंचन, पाली

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मांगीलाल खसाजी जैन
सिणधरी रोड, बागोड़ा,
जिला जालोर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा

.....अपीलार्थी की ओर से

उप राजकीय अभिभाषक

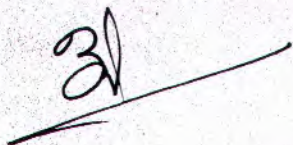
श्री पी.एम. चौपड़ा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 23/04/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 8/आरवेट/जालोर/2014-15 के आदेश दिनांक 20.03.2015 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, करापवंचन, पाली (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25 & 61(1) के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु पारित आदेश दिनांक 04.04.2013 द्वारा आरोपित कर राशि 1,04,840/- एवं शास्ति रुपये 2,09,680/- को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत्त प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) प्रत्यर्थी व्यवहारी अपंजीकृत का दिनांक 04.04.2013 को सर्वेक्षण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि उसके द्वारा तिलहन, रायड़ा का क्रय विक्रय किया जाता है एवं फर्म वैट में पंजीकृत नहीं है। दो स्वतन्त्र गवाहों की माजूदगी में व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण बनाया गया एवं नियमित लेखा पुस्तकों से अभिग्रहीत दस्तावेजों का मिलान नहीं पाये जाने पर



निरन्तर.....2

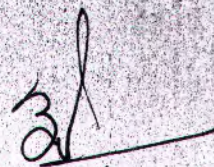
उचन्ति बिक्री एवं खरीद के आधार पर मांग सृजित की गयी। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई, जिसका निस्तारण दिनांक 20.03.2015 को करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील धारा 83 के अंतर्गत कर बोर्ड के समक्ष पेश की गई है।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर योग्य माल की खरीद बिक्री की जाती है परन्तु वह आरवैट अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं था। साथ ही मौके पर पाये गये दस्तावेजों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि उसके द्वारा उचन्ति बिक्री एवं खरीद की गयी है अतः कर निर्धारण अधिकारी ने उचित आधार पर करारोपण किया है। उन्होंने अपीलीय आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की।
4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 04.04.2013 को किया जाकर प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये उचन्ति बिक्री से सम्बन्धित दस्तावेजों को अभिग्रहीत किया गया था एवं उनके सत्यापनार्थ उक्त जांच अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को दिनांक 10.04.2013 का नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी के अनुरोध पर उसी दिन 04.4.2013 को ही प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त (प्रशासन), पाली द्वारा दिनांक 04.04.2013 को बनाये गये उक्त वाद में अन्य सक्षम अधिकारी—एसीटीओ ए/ई द्वितीय, पाली को स्थानान्तरण करने के आदेश दिनांक 9.4.2013 को प्रसारित किये गये, अतः जो कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है उस हेतु उक्त अधिकारी आदेश की तिथि अर्थात् 04.04.2013 को विधिक रूप से अधिकृत ही नहीं था, अतः कर निर्धारण आदेश आरम्भ से ही अविधिक (void ab initio) है। इस संबंध में उन्होंने विस्तृत साक्ष्य भी पेश करते हुए कथन किया कि सक्षम अधिकारी स्वयं उस दिन मौके पर उपलब्ध ही नहीं था तथा उसे प्रकरण के निस्तारण हेतु उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा जब अधिकृत ही दिनांक 09.04.2013 को किया गया तो ऐसी दशा में की गई कर निर्धारण की समस्त कार्यवाही अविधिक है, अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बताते हुए उन्होंने इसकी पुष्टि करने तथा विभाग की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।
5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। यह तथ्य निर्विवाद रूप से सही है कि अप्रार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 04.04.2013 को जांच अधिकारी द्वारा किया गया था तथा कुछ दस्तावेज करवंचना के संदेह में अभिग्रहीत किये गये थे। तत्पश्चात् इन दस्तावेजों की ऑडिट/सत्यापन व्यवहारी



की उपस्थिति में उसी दिन अर्थात् 04.04.2013 को किये जाने के पश्चात करवंचना का प्रकरण पाये जाने के कारण prosecutor can not be judge के सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में विभागीय निर्देशों के अनुसरण में प्रकरण अन्य अधिकारी को स्थानान्तरित करने हेतु उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, पाली को जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 04.04.2013 को ही पत्र लिखा गया जो कि अभियोग पत्रावली के पृष्ठ 18 पर मौजूद है। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी के आदेश पत्र दिनांक 04.04.2013 में मात्र यही टिप्पणी अंकित है कि "उपलब्ध रिकॉर्ड एवं जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट अनुसार व्यवहारी द्वारा माल कीमतन रुपये 20,96,800/- की उचन्ति बिक्री कर, करवंचना का प्रयास होने पर जांच अधिकारी द्वारा धारा 25, 61(1) के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर पत्रावली DC.(Adm) के निर्देशानुसार स्थानान्तरित की गई।" परन्तु इस आदेश पत्र में या कर निर्धारण आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि उपायुक्त (प्रशासन), पाली के किस आदेश या पत्रांक के द्वारा पत्रावली उसे स्थानान्तरित की गई है।

6. इस संबंध में उक्त प्रकरण स्थानान्तरित किये जाने बाबत उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, पाली का पत्र अभियोग पत्रावली के पृष्ठ 53 पर मौजूद है जिसका पत्र क्रमांक उपा.पा/पीए/स्थाना/2013-14/10 दिनांक 09.04.2013 है। चूंकि प्रकरण स्थानान्तरण करने का औपचारिक एवं विधिसम्मत आदेश दिनांक 09.04.2013 को जारी हुआ है परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण दिनांक 04.04.2013 को ही कर दिया गया था, अतः सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 04.04.2013 को की गई कर निर्धारण की कार्यवाही उस दिन उसके क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण विधिसम्मत नहीं कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी की ओर से सक्षम अधिकारी के मौका स्थल पर वास्तव में उपस्थित होने को भी विवादित किया गया है तथा उपस्थित उप राजकीय अभिभाषक वक्त सुनवाई इन तथ्यों का खण्डन नहीं कर पाये हैं। इन दोनों कारणों से अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखने पर अपीलीय आदेश उचित एवं विधिसम्मत पाया जाता है, लिहाजा इनकी पुष्टि की जाती है तथा राजस्व की प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।



23.04.2018
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य